

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला-जालोर

पीठासीन अधिकारी :- प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 29 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :- 2025 / 173

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. उकाराम पुत्र नगा, उम्र- 65 वर्ष, जाति- कलबी, निवासी- लुणियासर, तहसील- सांचौर, जिला- जालोर (राज.)।		1. खुमाराम पुत्र गणेशाराम।
2. राणाराम पुत्र धनाराम, उम्र- 58 वर्ष, जाति- कलबी, निवासी- लुणियासर, तहसील- सांचौर, जिला- जालोर (राज.)।		2. मेघाराम पुत्र पूनमाराम।
		3. वेलाराम पुत्र पूनमाराम।
		4. रगा पुत्र अन्ना।
		5. कानाराम पुत्र धनाराम जातियान- कलबी, निवासीगण- लुणियासर, तहसील- सांचौर, जिला- जालोर
		6. रावताराम पुत्र धनाराम जाति- कलबी, निवासी- पथमेड़ा, तहसील- सांचौर, जिला- जालोर
		7. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- पथमेड़ा
		8. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा- सांचौर,
		9. तहसीलदार सांचौर।

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कलबी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी
3. अप्रार्थी संख्या 09 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित।


:- निर्णय :-

दिनांक:- 04.08.2025




1. अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि हम प्रार्थीगण ग्राम लुणियासर के मूल निवासी है। तथा मुझ प्रार्थीगण संख्या 01 की कृषि भूमि मौजा लुणियासर, पटवार हल्का-




उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

नानोल, तहसील- सांचौर मे खेत खसरा संख्या 200 रकबा 3.97 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 203 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 204 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सडा, खसरा संख्या 205 रकबा 2.90 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, कुल रकबा 6.90 हैक्टेयर भूमि का आया हुआ है। जिसमे मुझ प्रार्थीगण संख्या 01 का हिस्सा 1/4 है। जिस पर मैं प्रार्थीगण संख्या 01 व मेरे भाई काबित काशत है। तथा मुझ प्रार्थीगण संख्या 02 की कृषि भूमि मौजा लुणियासर, पटवार हल्का- नानोल, तहसील- सांचौर मे खेत खसरा संख्या 202 रकबा 2.42 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि का आया हुआ है। जिसमे मुझ प्रार्थीगण संख्या 02 का हिस्सा 1/3 है। तथा उक्त 2.42 हैक्टेयर भूमि पर मैं प्रार्थीगण संख्या 02 काबित काशत हूँ। तथा उक्त भूमि पर हम प्रार्थीगण सपरिवार निवासरत है व काशत करते आ रहे है। तथा उक्त खातेदारी खेत मे आवागमन का कोई अन्य कदीमी रास्ता नहीं है। तथा मुझ प्रार्थीगण संख्या 01 के खातेदारी खेत में आवागमन का निकटतम कदीमी रास्ता मौजा लुणियासर, पटवार हल्का- नानोल, तहसील- सांचौर के खेत खसरा संख्या 199 रकबा 5.42 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार खुमाराम, मेघाराम व वेलाराम), खसरा संख्या 201 रकबा 3.84 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (खातेदार रगा पुत्र अन्ना) भूमि मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता व मुझ प्रार्थीगण संख्या 02 के खातेदारी खेत में आवागमन का निकटतम कदीमी रास्ता मौजा लुणियासर, पटवार हल्का- नानोल, तहसील- सांचौर के खेत खसरा संख्या 199 रकबा 5.42 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार खुमाराम, मेघाराम व वेलाराम), खसरा संख्या 201 रकबा 3.84 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (खातेदार रगा पुत्र अन्ना), खसरा संख्या 202 रकबा 2.42 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (खातेदार कानाराम, रावताराम) भूमि मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता सलंगन नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल रंग से दर्शाया गया है। जो हम प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायहित मे अति आवश्यक है। यह है कि मुझ प्रार्थीगण संख्या 01 के खातेदारी खेत में आवागमन हेतू मौजा लुणियासर, पटवार हल्का- नानोल, तहसील- सांचौर के खेत खसरा संख्या 199 रकबा 5.42 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार खुमाराम, मेघाराम व वेलाराम), खसरा संख्या 201 रकबा 3.84 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (खातेदार रगा पुत्र अन्ना) भूमि मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता व मुझ प्रार्थीगण संख्या 02 के खातेदारी खेत मे आवागमन हेतू मौजा लुणियासर, पटवार हल्का- नानोल, तहसील- सांचौर के खेत खसरा संख्या 199 रकबा 5.42 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार खुमाराम, मेघाराम व वेलाराम), खसरा संख्या 201 रकबा 3.84 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (खातेदार रगा पुत्र अन्ना), खसरा संख्या 202 रकबा 2.42 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (खातेदार कानाराम, रावताराम) भूमि मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता सलंगन नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल रंग से दर्शाये अनुसार अवाप्त कर हम प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत मे आवागमन करने हेतू रास्ता दिलाया जाये। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 के अनुसार स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण संख्या 01 के खातेदारी खेत में आवागमन हेतू मौजा लुणियासर, पटवार हल्का- नानोल, तहसील- सांचौर के खेत खसरा संख्या 199 रकबा 5.42 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार खुमाराम, मेघाराम




उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

- व वेलाराम), खसरा संख्या 201 रकबा 3.84 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (खातेदार रगा पुत्र अन्ना) भूमि मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता व प्रार्थीगण संख्या 02 के खातेदारी खेत मे आवागमन हेतू मौजा लुणियासर, पटवार हल्का- नानोल, तहसील- सांचौर के खेत खसरा संख्या 199 रकबा 5.42 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार खुमाराम, मेघाराम व वेलाराम), खसरा संख्या 201 रकबा 3.84 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (खातेदार रगा पुत्र अन्ना), खसरा संख्या 202 रकबा 2.42 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (खातेदार कानाराम, रावताराम) भूमि मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता सलंगन नक्शा परिशिष्ट "अ" मे लाल रंग से उल्लेखित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ते की भूमि के रूप मे दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।
2. प्रार्थीगण का प्रार्थना-दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 को उक्त प्रार्थना पत्र से तर्क किया गया।
3. अप्रार्थी 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:- प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों में आवागमन करने हेतू रास्ते की आवश्यकता है, जो हम अप्रार्थीगण संख्या 01 खुमाराम पुत्र गणेशाराम, 02 मेघाराम पुत्र पूनमाराम, 03 वेलाराम पुत्र पूनमाराम, 04 रगा पुत्र अन्ना के खातेदारी खेत मौजा लुणियासर, पटवार हल्का- नानोल, तहसील-सांचौर के खेत खसरा संख्या 199 रकबा 5.42 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार खुमाराम, मेघाराम व वेलाराम), खसरा संख्या 201 रकबा 3.84 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (खातेदार रगा पुत्र अन्ना) भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण संख्या 01 उकाराम को व हम अप्रार्थीगण संख्या 01 खुमाराम पुत्र गणेशाराम, 02 मेघाराम पुत्र पूनमाराम, 03 वेलाराम पुत्र पूनमाराम, 04 रगा पुत्र अन्ना, 05 कानाराम पुत्र धनाराम व 06 रावताराम पुत्र धनाराम के खातेदारी खेत मौजा लुणियासर, पटवार हल्का- नानोल, तहसील- सांचौर के खेत खसरा संख्या 199 रकबा 5.42 हैक्टेयर किस्म चाही सोयन व जाव सोयम (खातेदार खुमाराम, मेघाराम व वेलाराम), खसरा संख्या 201 रकबा 3.84 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (खातेदार रगा पुत्र अन्ना), खसरा संख्या 202 रकबा 2.42 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (खातेदार कानाराम, रावताराम) भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण संख्या 02 को नया रास्ता प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शायेनुसार भूमि को अवाप्त कर प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेतों में आवागमन करने हेतू रास्ता दिया जाये तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। तथा हमे उक्त भूमि के एवज मे पैसो की आवश्यकता नही है। तथा न ही कभी भविष्य मे पैसो की मांग करेगें।
4. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी अपनी बहस में नवीन मार्ग राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेजात, नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।




उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :- 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विद्यमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

6. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खातेदार खेत पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है।



उपखण्ड अधिकारी
जांचौर (जालौर)

प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खातेदार खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 200 रकबा 3.97 हैक्टर में पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा अनुसार एव अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 द्वारा रास्ते हेतु दी गई सहमति प्रदान की गई। अतः प्रार्थीगण के खसरा नं. 200, 202 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 199 रकबा 5.42 हैक्टेयर, खसरा संख्या 201 रकबा 3.84 हैक्टेयर से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थीगण का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सरहद मौजा लुणियासर पटवार हल्का नानोल के खसरा नम्बर 202 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 200 रकबा 3.97 हैक्टर में आवागमन हेतु खसरा संख्या 199 रकबा 5.42 हैक्टेयर, खसरा संख्या 201 रकबा 3.84 हैक्टेयर में से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:- आदेश :-

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा अनुसार मौजा लुणियासर पटवार हल्का नानोल के खसरा नं. 200, 202 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 199 रकबा 5.42 हैक्टेयर, खसरा संख्या 201 रकबा 3.84 हैक्टेयर में से 4 मीटर चौड़ाई रखते हुये तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो



(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सांचौर (जालोर)

